



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 32

पटना, बुधवार,

15 श्रावण 1947 (श10)

6 अगस्त 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-15
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	16-17
पूरक	---
पूरक-क	18-20

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

अधिसूचना

26 जुलाई 2025

सं० 1/272812/2025—श्रीमती वेद रिचा, (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भभुआ सदर, कैमूर का वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में द्वितीय संतान हेतु 02.12.2024 से 28.05.2025 तक कुल 178 दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)

अधिसूचना

31 जुलाई 2025

सं० FW-1723/3/2025-SEC_9-4341--निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन, उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) एवं कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद का सृजन करते हैं तथा कुर्साकांटा अंचल को अवर निबंधन कार्यालय, फारबिसगंज से हटाकर उसके अनुमण्डल कार्यालय के अनुरूप जिला निबंधन कार्यालय, अररिया के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, रानीगंज का क्षेत्राधिकार रानीगंज एवं भरगामा अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप जिला अवर निबंधन कार्यालय, अररिया एवं अवर निबंधन कार्यालय, फारबिसगंज का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव, सचिव।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचनाएं

23 जुलाई 2025

सं० विज्ञा०(4)01-04/2024/458/सू०ज०स०वि०—बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 एवं बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली-2024 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-07.07.2025 को आयोजित विज्ञापन प्राधिकृत समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुरूप में निम्नलिखित एजेंसियों को बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-32 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार की विज्ञापन संबंधी स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जाता है:-

WEB MEDIA

S/N	Empanel ID	Official Contact Person of the Company	Link of Web Portal	Web Media Niche	Category
1	2	3	4	5	6
1	2985	Siddharth Sonthalia	www.newindianexpress.com	News	A
2	2988	PRAVEEN KUMAR JHA	https://www.punjabkesari.in/	News	A
3	3061	PREMIER PAUL	https://www.aajtak.in/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Memes and Pop-Culture, Gaming , Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	A
4	3063	PREMIER PAUL	https://www.indiatoday.in/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Memes and Pop-Culture, Gaming , Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	A
5	3064	Milind Khandekar	https://www.uptak.in	News	A
6	3067	Dewang Goyal	https://www.pratahkal.com/	News	B
7	3071	Vikrant Gupta	https://thesportstak.com/	News	A
8	3076	Nitin Dhankar	www.indiatimes.com	Entertainment	A
9	3082	Ankit Dixit	www.tv9hindi.com	News	A
10	3084	Ankit Dixit	www.news9live.com	News	A
11	3087	SANJEET KUMAR	www.sangbadpratidin.in	News	B
12	3088	Amit Kumar Singh	https://news.abplive.com/	News	A
13	3089	Amit Kumar Singh	https://www.abplive.com/	News	A
14	3090	Pawan Prakash Thakur	https://newssamvad.com/	News, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	D
15	3150	Amit Kumar Singh	https://bengali.abplive.com/	News	A
16	3151	Amit Kumar Singh	https://marathi.abplive.com/	News	A
17	3152	Amit Kumar Singh	https://gujarati.abplive.com/	News	C
18	3165	Ankit Dixit	www.money9live.com	News	B
19	3243	MANAS MANOHAR	https://timesofindia.indiatimes.com	News	A
20	3244	MANAS MANOHAR	https://economictimes.indiatimes.com	News	A
21	3245	Sandesh Kumar Gupta	https://www.bhaskar.com/	News	A
22	3246	MANAS MANOHAR	https://navbharattimes.indiatimes.com/	News	A
23	3252	Mr. Zubair Ahsan	http://lalluram.com	News	A
24	3257	Mr Jaideep Karnik	www.amarujala.com	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Entertainment & Comedy, Money & Finance	A
25	3270	SANJEET KUMAR	www.telegraphindia.com	News	B

S/N	Empanel ID	Official Contact Person of the Company	Link of Web Portal	Web Media Niche	Category
1	2	3	4	5	6
26	3272	Arun Pratap Singh	www.prabhatkhabar.com	News	A
27	3273	Manoj Kumar Sinha	www.hindustantimes.com	News	A
28	3274	Manoj Kumar Sinha	www.livehindustan.com	News	A
29	3275	Manoj Kumar Sinha	www.livemint.com	News, Money & Finance	A
30	3276	Anand Shankar	www.paytm.com	Fintech, Travel, Health & Fitness , Lifestyle, Beauty and Fashion, Gaming , Art & Creativity, Money & Finance	B
31	3277	Manoj Kumar Sinha	www.healthshots.com	News, Health & Fitness , Lifestyle, Beauty and Fashion, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Food	B
32	3278	Manoj Kumar Sinha	bangla.hindustantimes.com	News	A
33	3279	Manoj Kumar Sinha	tech.hindustantimes.com	News, Tech, Gadget, Science & Education, Gaming	C
34	3281	Manoj Kumar Sinha	auto.hindustantimes.com	Auto and Electric Vehicles , News, Tech, Gadget, Science & Education	C
35	3285	Anwar Alam	https://kashishnews.com/	News	E
36	3353	Shailendra Kalelkar	https://www.business-standard.com/	News	A
37	3355	Abhishek Vij	www.dainiksaveratimes.com	News	A
38	3357	Abhishek Vij	www.thesaveratimes.com	News	A
39	3360	Santosh Kumar Chaturvedi	https://newsroompost.com/	News	C
40	3372	Kamal Krishna Mazumdar	https://www.travelandtourworld.com/	News, Travel	A
41	3374	Debashish Chakraborty	https://www.patrika.com	News	A
42	3381	Janmejay Chaturvedi	https://indianexpress.com	News	A
43	3401	Shradha Sharma	https://yourstory.com	Entrepreneurship, News, Tech, Gadget, Science & Education, Money & Finance	C
44	3407	NIMISH MATHUR	https://ianslive.in/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Entertainment & Comedy, Money & Finance	E
45	3409	Shailesh Srivastava	www.financialexpress.com	News	A
46	3411	Shailesh Srivastava	www.jansatta.com	News	A
47	3413	Shailesh Srivastava	www.loksatta.com	News	A
48	3417	Praveen Kumar	https://www.dailyhunt.in/	News	A
49	3419	Dilpreet Kaur Banerjee	www.gadgets360.com	News	A
50	3423	SHAH RAZA MOHAMMAD	FOOD.INDTV.COM	News	B
51	3445	Chandrasen Verma	https://aajikikhabar.com/	News	D

S/N	Empanel ID	Official Contact Person of the Company	Link of Web Portal	Web Media Niche	Category
1	2	3	4	5	6
52	3462	Avanish Kumar	https://www.businesstoday.in/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Memes and Pop-Culture, Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	A
53	3463	L SANTOSH KUMAR IYER	https://www.onmanorama.com/	News	B
54	3475	SOUVIK SANYAL	www.thehindu.com	News	A
55	3496	Zubin Maggon	https://www.irctc.co.in	News	A
56	3501	ARVINDER SINGH BHAMRA	NAVBHARATLIVE.COM	News	C
57	3519	ANUBHA VERMA	https://www.ptinews.com/	News	C
58	3531	SUDIPTA DAS	https://www.etvbharat.com/	News	A
59	2983	Ganpat Kumar	https://sanjeevanisamachar.com/	News	E
60	3068	Ajit Kumar	https://biharhelp.in	Updates on Govt Jobs, Yojana, Career & Scholarships, News, Tech, Gadget, Science & Education	C
61	3077	Ashish Kumar Agrawal	https://cgjanmanch.in	News	E
62	3175	MD SAMSUL HAQUE	https://www.publicadda.com/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Gaming , Entertainment & Comedy, Celebrity & Social Figure, Money & Finance, Food	D
63	3192	Sunil Mehta	www.awaaz24x7.com	News	E
64	3205	Kanchan Verma	www.awaaz24x7india.com	News	E
65	3208	Tushar Kandpal	www.bageshwarxpress.in	News	E
66	3209	Yogesh Shelly	www.awaaz24x7uttarakhand.com	News	E
67	3212	Pushkar Singh	www.chamolnews.in	News	E
68	3241	Shashi Kandpal	www.livenainital.com	News	E
69	3249	MANEESH NAITHANI	https://thereviewarea.com/	News	E
70	3260	Navin Kumar Dilliwar	https://thesamachar.in/	News	E
71	3304	Harish Kasekar	https://exposetodaynews.com/	News, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Memes and Pop-Culture, Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Child & Parenting, Money & Finance, Food	D
72	3308	Chhagan Kumar Sahu	https://navbhaskar.co.in	News	E
73	3310	SOMESH SINGH SENGHER	https://www.khabritaau.com	News	D
74	3319	JAIDEEP SHARMA	https://www.kadwaghut.com	News	C

S/N	Empanel ID	Official Contact Person of the Company	Link of Web Portal	Web Media Niche	Category
1	2	3	4	5	6
75	3321	SHIV CHANDRA RAI	WWW.KHABARKAAMKI.CO.IN	News, Health & Fitness	E
76	3324	Karuna Kumari	https://patnapress.com/	Culture, Archaeology, Business, Environment, News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	E
77	3325	PRADEEP SHARMA	https://www.deepjagriti.com	News	E
78	3356	Anil Kumar Upadhyay	https://skyindiatv.com/	News	D
79	3365	LOKESH SHARMA	https://www.kqnews.in	News	E
80	3369	Vinod Kumar Chaturvedi Choubey	https://www.asiavartanews.com	News	E
81	3376	ZISHAN HAIDER	https://helloup.in/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Memes and Pop-Culture, Gaming , Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Art & Creativity, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance, Food	C
82	3379	Rudransh Goyal	https://khabar24news.com/	News	C
83	3386	Prashant Chaturvedi	https://pradesh24.com/	News	C
84	3399	Ritesh Nema	https://thebharatrepublik.com/	News	C
85	3430	Shaunit Nishant	https://kknlive.com/	News	D
86	3439	SHEEL KUMAR RAJORIYA	https://firstpagenews.com	News	E
87	3440	SUNIL KUMAR JAIN	https://jantataknews.com	News	E
88	3457	ANKIT KUMAR	https://khabartrends.com/	News, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Entertainment & Comedy, Animal Rights & Welfare, Celebrity & Social Figure, Child & Parenting, Money & Finance	E
89	3464	CHATUR MURTI VERMA	https://cmexpress24.com/	News	E
90	3468	Virendra Dutt Gairola	https://gadhsamvedna.com/	News	E
91	3481	MUKUL NAITHANI	https://sachkiawaj.com/	News	E
92	3493	Gazala Sultana	https://khabarkranti.com/	News	C
93	3504	Vishal Maran	https://currentnewstv.com	News	D
94	3522	Jagdish Gyanchandani	https://pradeshkisurkhiyan.com/	News	D
95	3549	KUMAR PRABODH	https://firstbihar.com/	News	C

2. यह सूची दिनांक-31.03.2027 तक मान्य रहेगी।
3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विधु भूषण चौधरी, संयुक्त सचिव।

23 जुलाई 2025

सं० विज्ञा०(4)01-04 / 2024 / 459 / सू०ज०स०वि०—बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 एवं बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली-2024 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-07.07.2025 को आयोजित विज्ञापन प्राधिकृत समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुरूप निम्नलिखित एजेंसियों को बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-32 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार की विज्ञापन संबंधी स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जाता है:-

MOBILE APPLICATION

S/N	Empane ID	Official Contact Person of the Company	Name of Mobile Application	Link for Mobile Application	Mobile App Niche
1	2	3	4	5	6
1	3180	Anand Shankar	Paytm	https://play.google.com/store/apps/details?id=net.one97.paytm/https://apps.apple.com/in/app/paytm-secure-upi-payments/id473941634	Fintech, Travel, Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion, Gaming , Entertainment & Comedy, Art & Creativity, Money & Finance
2	3335	Arun Pratap Singh	Prabhat Khabar	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.prabhatkhabar&hl=en	News
3	3428	Kamar Sultan Khan	Zepto	https://apps.apple.com/in/app/zepto-10-min-grocery-delivery/id1575323645/	Money & Finance, Food
4	3477	Rishabh Chaudhry	OLX.in	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olx.southasia	Health & Fitness , Tech, Gadget, Science & Education, Lifestyle, Beauty and Fashion
5	3518	Sanchita Assija	JioSaavn	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jio.media.jiobeats&pcampaignid=web_share	Entertainment & Comedy

2. यह सूची दिनांक-31.03.2027 तक मान्य रहेगी।
3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विधु भूषण चौधरी, संयुक्त सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

10 मार्च 2025

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-25/2017-1180—श्री निरज कुमार, तत्का० जिला अवर निबंधक, नालन्दा, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) के विरुद्ध श्री राकेश कुमार, गर्दनीबाग, पटना से जमीन का रजिस्ट्री करने के एवज में रु० 15000/- (पन्द्रह हजार) रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल के द्वारा दिनांक-21.07.2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी मामले में निगरानी थाना कांड सं०-058/2017 दिनांक 21.07.2017 धारा-7/8/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि०अधि०, 1988 के तहत दर्ज किया गया है।

उक्त मामले में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-3322 दिनांक-02.08.2017 के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक-21.07.2017 से निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय ज्ञापांक-3622 दिनांक-21.08.2017 एवं 4265 दिनांक-11.10.2017 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा जमानत पर न्यायिक हिरासत से बाहर होने के पश्चात् दिनांक-21.09.2017 को विभाग में योगदान दिया गया, जिसके आलोक में श्री

कुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-4151 दिनांक-26.09.2017 द्वारा पुनः निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

श्री कुमार के द्वारा दिनांक-13.10.2017 को आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि जिस प्रस्तावित आरोप पत्र की प्रति उन्हें उपलब्ध करायी गयी है, वह झूठा, मनगढ़ंत केस पर आधारित है, जो परिवादकर्ता श्री राकेश कुमार एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कतिपय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आपसी मिली-भगत एवं षड्यंत्र से उनके विरुद्ध लाया गया है। उनके द्वारा आरोपों से इन्कार करते हुए सारे आरोपों को निराधार, तथ्यहीन, मनगढ़ंत, षड्यंत्रपूर्ण एवं निगरानी थाना कांड सं०-58/2017 पर आधारित बताया गया। उनके द्वारा निगरानी विभाग के कार्यकलाप पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उल्लेख किया गया है कि एक होटल में धावादल द्वारा मनोनूकूल कार्रवाई कर विधिवत् अपराधिक मामला बनाया गया है। आरोप पत्र को भी नियमानुकूल नहीं बताया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभिकथन की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि परिवादी श्री राकेश कुमार को अपनी माँ के नाम से जमीन का निबंधन कराने हेतु बार-बार परेशान कर अनुचित राशि की मांग की गयी है, जिसके कारण परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक-14.07.2017 को बाध्य होकर निगरानी में परिवाद पत्र दिया गया, जिसका सत्यापन श्री चन्द्रभूषण कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया। धावादल द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पास से दो-दो हजार रुपये के 07 सी0जी0सी0 नोट तथा पाँच-पाँच सौ के 02 जी0सी0 नोट, जो रिश्वत के रूप में लिया गया था, को बरामद किया गया, जो प्री0 ट्रेप मेमोरेण्डम एवं पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम में अंकित नोटों के समान है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि श्री निरज कुमार द्वारा रिश्वत के रूप में 15 हजार रुपया स्वीकार किया गया। रिश्वत की यह घटना इस बात को भी परिलक्षित करती है कि उनके कार्यालय में पूर्णतः अव्यवस्था व्याप्त थी तथा वहाँ नियमानुसार कार्य नहीं हो रहा था।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत श्री कुमार से आरोप पत्र पर प्राप्त अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री कुमार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल रहने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-4924 दिनांक-11.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8'ए' को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना-सह-जाँच आयुक्त के पत्रांक-16 दिनांक-30.09.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है जिसमें अंकित है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा गिरफ्तार आरोपित पदाधिकारी के पास से दो-दो हजार के 07 नोट तथा पाँच-पाँच सौ के 02 नोट जो रिश्वत के रूप में लिया गया था, को बरामद किया गया। प्री0 ट्रेप मेमोरेण्डम एवं पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम में अंकित नोटों के समान था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा रिश्वत के रूप में 15 हजार रुपये स्वीकार किया गया है। इस कांड के गवाह श्री राकेश कुमार एवं श्री चन्द्रभूषण कुमार सिंह की गवाही पूर्ण की गयी, जिसका परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दोनों गवाही में गवाह का प्रतिपरीक्षण करने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार जाँच आयुक्त द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री निरज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में अंकित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के उपरांत रंगे-हाथ गिरफ्तार किया जाना, वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण स्वीकार करना जो पद का दुरुपयोग है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में अंकित प्रावधान का उल्लंघन है, का आरोप प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-4222 दिनांक-16.10.2024 एवं पत्रांक-4622 दिनांक-12.11.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री निरज कुमार ने दिनांक-11.11.2024 एवं 28.11.2024 को अपना बचाव बयान/अभ्यावेदन/निवेदन विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आरोप पत्र के गठन, विभागीय कार्यवाही के संचालन एवं निगरानी विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए पूरी प्रक्रिया को गलत बताया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन को पूरी तरह निरस्त तथा खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त बचाव बयान/अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई भी नया तथ्य एवं साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल उन्हीं तथ्यों व साक्ष्यों को पुनः दोहराया गया है, जो उन्होंने पूर्व में जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में उल्लेखित किया था। इस प्रकार का भ्रष्टाचार अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का है जो राज्य के भ्रष्टाचार उन्मूलक नीति के विपरीत है। श्री निरज कुमार का यह आचरण सरकारी सेवकों के लिए शोभनीय नहीं है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव बयान/अभ्यावेदन/निवेदन का अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय पत्रांक-112 दिनांक-10.01.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4106 दिनांक-29.01.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

तदोपरांत श्री निरज कुमार को सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड के निर्णय पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.02.2025 को मद संख्या-04 के रूप में विभागीय प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में श्री निरज कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, उप सचिव।

27 मार्च 2025

सं० 8/आ० (मु०राज०नि०)-3-01/2021-1608—श्री रामप्रवेश चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालन्दा) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को जमीन रजिस्ट्री करने के एवज में श्री योगेन्द्र यादव से रु. 8000/- (आठ हजार) रिश्वत लेते निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा निगरानी थाना कांड सं०-055/2014 दिनांक 26.08.2014 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने के परिणाम स्वरूप कदाचार के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-2406 दिनांक-10.08.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री चौहान द्वारा मा० पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16992/2021 (राम प्रवेश चौहान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें दिनांक-08.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"35. As the report of the Inquiry Officer as well as the Disciplinary Authority and Appellate Authority in the instant case suffers from manifest illegality, in view of the fact that the findings are based on no evidence, or irrelevant consideration of evidence, the impugned orders dated 10-08-2020 and 17-01-2022 are set aside and quashed.

36. The writ petition, accordingly, stands allowed.

37. The petitioner is directed to be reinstated in service and he is entitled to all consequential benefits from the date of his initial suspension contemplating enquiry against him, which is the subject matter of this case.

उक्त न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

" I do not find any legal or factual infirmity in the order of the writ court. Hence, I do not find it is a fit case for filing LPA."

महाधिवक्ता से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं होने के कारण मा० उच्च न्यायालय के सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16992/2021 में दिनांक-08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं०-1093 दिनांक-20.11.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गयी। विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। विधि विभाग के ज्ञापांक-1380 दिनांक-28.02.2025 द्वारा संसूचित दिनांक-20.02.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16992/2021 (रामप्रवेश चौहान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-08.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या-2406, दिनांक-10.08.2020 के द्वारा श्री राम प्रवेश चौहान के विरुद्ध संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए, सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16992/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-08.10.2024 को पारित आदेश का

अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।”

अतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-16992/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-08.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री रामप्रवेश चौहान, तत्का0 अवर निबंधक, हिलसा, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-2406 दिनांक-10.08.2020 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः बहाल किया जाता है तथा निलंबन की तिथि से अनुमान्य सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, उप सचिव।

30 मई 2025

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-09/2024-2858—श्री नीरज कुमार, अवर निबंधक, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास के पदस्थापन काल में निबंधित दस्तावेज सं0-3892/2023 में फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी भूमि को निबंधित कराये जाने का आरोप लगाते हुए श्री विजय कुमार सिन्हा, रौंछी के द्वारा परिवाद दिया गया था। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक-875 दिनांक-19.02.2024 के द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उक्त दस्तावेज में फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि उक्त दस्तावेज के साथ संलग्न संबंधित विक्रेता एवं पहचानकर्ता का आधार फर्जी पाया गया। उक्त प्रमाणित जालसाजी एवं फर्जीवाड़े के संबंध में श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर से विभागीय पत्रांक-1941 दिनांक-14.05.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के पत्रांक-350 दिनांक-05.10.2024 द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने तथा कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने, विभागीय नियमों व निदेश की अवहेलना करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने में गंभीरता नहीं दिखाने के कारण लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन निम्नलिखित लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है—

(क) निन्दन (आरोप वर्ष 2023)।

(ख) असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, उप सचिव।

5 जून 2025

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-22/2022-3041—श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान के विरुद्ध दिनांक-21.12.2022 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में बिना अवकाश स्वीकृति अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-4793 दिनांक-16.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(v) के अधीन 02 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री अविनाश प्रकाश, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बेगूसराय सम्प्रति अधीक्षक मद्यनिषेध, सिवान द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24(2) के तहत पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया। श्री अविनाश प्रकाश से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अवकाश में जाने से पूर्व जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी, परन्तु विभागीय निदेशानुसार विभाग के सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी।

3. अतएव श्री प्रकाश को अधिरोपित दण्ड समानुपातिक नहीं पाये जाने के कारण उनके पुनर्विलोकन अर्जी पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-4793 दिनांक-18.03.2023 द्वारा अधिरोपित 02 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड को निरस्त करते हुए निन्दन (आरोप वर्ष 2022) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

22 जुलाई 2025

सं० 8/आ० (राज० नि०)-1-35/2021-4156—श्री मनीष कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, रक्सौल, पूर्वी चंपारण सम्प्रति अवर निबंधक, चनपटिया, पश्चिम चंपारण, बेतिया के द्वारा नगर परिषद्, रक्सौल के लिए बुचड़खाना हेतु खरीदगी जमीन में एकरारनामा के अनुसार बिना शर्त कुल मो० 4,00,00,000/—(चार करोड़ रु०) के विरुद्ध मो० 5,97,00,000/—(पाँच करोड़ सनतानवे लाख रु०) भुगतान किये जाने से संबंधित अनियमितता के संबंध में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-9 का पालन नहीं करने, उनका आचरण विभागीय अधिनियमों/नियमों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) का उल्लंघन आदि के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-5493 दिनांक-30.10.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संदलपुर रोड, कुम्हारार, पटना-06 के पत्रांक-148 दिनांक-19.02.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें आरोप को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संदलपुर रोड, कुम्हारार, पटना-06 के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-1441 दिनांक-02.04.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई।

4. श्री मनीष कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, एकमा, सारण सम्प्रति अवर निबंधक, चनपटिया, पश्चिम चंपारण, बेतिया के पत्रांक-171 दिनांक-10.04.2024 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार द्वारा अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध राजस्व क्षति संबंधी कोई आरोप प्रमाणित होने की बात नहीं कही गई है, अपितु विभागीय अनुदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित होने की बात कही गई है। श्री कुमार द्वारा बताया गया है कि नगर परिषद् रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) के द्वारा बुचड़खाना (व्यवसायिक कार्य) खोलने के लिए नगर परिषद्, रक्सौल में वार्ड सं०-24 के अन्तर्गत खेसरा सं०-1622, 1627 एवं 1628 का भूमि का निबंधन कराने में आने वाले कुल खर्च की गणना की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा पत्रांक-315 दिनांक-08.09.2020 द्वारा भूमि की उपयोगिता (व्यवसायिक) तथा नक्शा से मिलान करने पर भूखण्ड का एन०एच० पर खुलने के कारण राजस्व हित में इसे व्यवसायिक श्रेणी माना गया तथा वार्ड सं०-24 का व्यवसायिक श्रेणी का दर नगर परिषद्, रक्सौल को उपलब्ध करा दिया गया। उनके द्वारा राजस्व हित में कार्य किया गया है। अतः बचाव बयान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि तत्कालीन अवर निबंधक द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, रक्सौल को भूमि मूल्यांकन एवं निबंधन का दर भेजने के पूर्व सही रूप से स्थल जाँच कर भूमि की अवस्थिति के संबंध में विस्तृत विवरणी अंकित नहीं की गयी। इस प्रकार स्थल जाँच से संबंधित तथ्यों एवं विभागीय पत्रांक-5021 दिनांक-18.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन में पूर्णरूपेण सावधानी नहीं बरती गयी है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, रक्सौल को पत्रांक-315 दिनांक-08.09.2020 के माध्यम से भेजे गये प्रतिवेदन में विहित प्रावधानों के अनुपालन नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि विभागीय त्रिसदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में भी किया गया है, जिसके कारण भूमि के क्रय में 4,00,00,000/—(चार करोड़ रु०) के स्थान पर 5,97,00,000/—(पाँच करोड़ सनतानवे लाख रु०) का भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार 1,97,00,000/—(एक करोड़ सनतानवे लाख रु०) अधिक भुगतान किया गया, जो सरकारी राजस्व के अपव्यय/क्षति के श्रेणी में आता है। श्री मनीष कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, रक्सौल, पूर्वी चंपारण सम्प्रति अवर निबंधक, चनपटिया, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव बयान अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के तहत 05 (पाँच) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के निर्णय पर विभागीय पत्रांक-200 दिनांक-17.01.2025 एवं स्मार पत्रांक-1827 दिनांक-07.04.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1401 दिनांक-01.07.2025 द्वारा दिनांक-19.06.2025 को आहूत आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः श्री मनीष कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, रक्सौल, पूर्वी चंपारण सम्प्रति अवर निबंधक, चनपटिया, पश्चिम चंपारण, बेतिया के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के तहत 05 (पाँच) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

**अधिसूचनाएं
31 जुलाई 2025**

सं० 2/थाना-10-99/2023-9973—गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या-3225 दिनांक-15.03.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं०-6580 दिनांक-14.06.2024 द्वारा रोहतास जिला के भानस ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं०-8565 दिनांक-31.07.2024 द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार को संशोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट पंचायतों एवं गाँवों को रोहतास जिला के “भानस थाना” में शामिल किया जाता है :-

क्र०	पंचायत का नाम		गांव का नाम		प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या	थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1.	कंजर	1	डोइयाँ	Doiyan	161	दिनारा
		2	पिठवईयाँ	Pithwaiyan	165	दिनारा
		3	कुर्सा	Kursa	157	दिनारा
		4	मणीपुर	Manipur	160	दिनारा
		5	घासा	Ghasa	159	दिनारा
		6	हुरहरा	Hurhara	158	दिनारा
2.	चिलहरूआ	7	गोपालपुर	Gopalpur	197	दिनारा
		8	खैरही	Khairhi	199	दिनारा
		9	मजखोरा	Majkhora	217	दिनारा
		10	भुआवल	Bhuawal	216	दिनारा
		11	चिलहरूआ	Chilharua	213	दिनारा
		12	धनपुरा	Dhanpura	215	दिनारा
		13	बसडीहाँ	Bashdihan	205	दिनारा
		14	पीपरा	Pipra	204	दिनारा
3.	समहुती	15	धुरकी	Dhurki	187	दिनारा
		16	तुर्की	Turki	182	दिनारा
		17	डिहरा	Dihara	189	दिनारा
		18	बभनडीहाँ	Babhandihan	184	दिनारा
		19	पिथनी	Pithni	201	दिनारा
		20	विश्रामपुर	Vishrampur	183	दिनारा
		21	कनियारी	Kaniyari	186	दिनारा
		22	कुशही	Kushahi	180	दिनारा
		23	मठीयाँ	Mathiyan	190	दिनारा
4.	महरोड़	24	बेलवईयाँ	Belwaiya	94	दिनारा
		25	भानस	Bhanas	105	दिनारा
		26	महरोड़	Mahrer	77	नटवार
		27	नदउवां	Nadauan	76	नटवार
		28	मिल्की	Milki	78	नटवार
		29	नियोजीपुर	Niyazipur	78	नटवार
		30	प्राणपुर टोला	Pranpur Tola	92	दिनारा
		31	परड़िया मठिया	Parariya Mathiya	93	दिनारा
5.	अकोढ़ा	32	पण्डितपुरा	Panditpura	173	दिनारा
		33	धवनियाँ	Dhawaniya	179	दिनारा

6	34	अकोढ़ा	Akodha	170	दिनारा
	35	गिरधरिया	Girdhariya	178	दिनारा
	36	मूडा	Muda	174	दिनारा
	37	टोरा	Tora	172	दिनारा
	38	खलसापुर	Khalsapur	176	दिनारा
	39	बरियारपुर	Bariyarpur	171	दिनारा
	40	मिर्जापुर	Mirzapur	116	दिनारा
	41	गगनपुरवा	Gaganpurwa	116	दिनारा
	42	सरैया	Saraiya	115	दिनारा
	43	मरुआ	Marua	175	दिनारा
6	44	संधवा टोला	Sandhwa Tola	121	दिनारा
	45	किशनीपुर टोला	Kishanipur Tola	118	दिनारा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव।

**Home Department
(Police Branch)**

**NOTIFICATION
The 1st August 2025**

No. 7/CCA-101/2025 H(P)/10062—Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice **Vipul M. Pancholi** as the Chief Justice of Patna High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024.
2. National Security Act, 1980.
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and
5. Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Pavankumar Bhimappa Bajanthri**

Chairman

Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retired)

Member

Hon'ble Mr. Justice **Prabhat Kumar Jha** (Retired)

Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar,
Manoj Kumar Sinha, Under Secretary.

**VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA**

ORDER

The 31st July 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-10/2025-5244—On the basis of the details of property of **Shri Anubhuti Srivastava** furnished with the application given by the Special

Vigilance Unit for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Shri Anubhuti Srivastava the then Executive Officer, Hajipur Nagar Parishad (Suspended), S/o- Late Rajendra Prasad, Address- Flat No.- 407B, Aparna Mansion, Tilak Nagar, Rukunpura, Near Chaumin Factory, Bailey Road, Patna-800014** who is named accused in SVU P.S. Case No.-**01/2021 dated 31.08.2021** registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth **₹1,99,77,169/- (One Crore Ninty Nine Lakh Seventy Seven Thousand One Hundred Sixty Nine Rupees Only)** which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of **Shri Anubhuti Srivastava**.

By Order,

Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 31st July 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-10/2025-5245—WHEREAS, It was alleged that **Shri Anubhuti Srivastava, S/o-Late Rajendra Prasad, Address-Flat No.- 407B, Aparna Mansion, Tilak Nagar, Rukunpura, Near Chaumin Factory, Bailey Road, Patna-800014** while holding **the then Executive Officer, Hajipur Nagar Parishad (Suspended)** in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in SVU P.S. Case No.-**01/2021 dated 31.08.2021** of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the **Shri Anubhuti Srivastava** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar,
(Sd.) Illegible, Additional Chief Secretary.

वित्त विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

5 अगस्त 2025

सं० 8662—अधोहस्ताक्षरी में, डॉ० आशिमा जैन, भा०प्र०से० (2008), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार पटना का प्रभार आज दिनांक—05.08.2025 के अपराह्न में श्रीमती रचना पाटिल, भा०प्र०से० (2010), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सौंपती हूँ।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—1/पी०—1005/2025—सा०प्र०—14261 एवं 1/पी०—1005/2025—सा०प्र०—14262 दिनांक—02.08.2025 द्रष्टव्य।

(डॉ० आशिमा जैन)

भारमुक्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(रचना पाटिल)

भारग्राही पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश से,
आदित्य कुमार झा, विशेष कार्य पदाधिकारी।

लघु जल संसाधन विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

5 अगस्त 2025

सं० 892—अधोहस्ताक्षरी में, सुमल कान्त सुमन, बिहार सचिवालय सेवा (सिविल लिस्ट 2023 का क्रमांक—701) आज दिनांक 23.07.2025 के अपराह्न में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या—204—सह—पठित ज्ञापांक—5285 दिनांक 23.07.2025 के अनुपालन में प्रशाखा पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ।

(लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या—204—सह—पठित ज्ञापांक—5285 दिनांक 23.07.2025 कृपया द्रष्टव्य)

(ह०) अस्पष्ट,
प्रतिहस्ताक्षरित

(सुमल कान्त सुमन)
भारग्राही पदाधिकारी

आदेश से,
आलोक चन्द्र कुशवाहा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 20—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 720--I, AJAY KUMAR SINGH, S/o- Late Devendra Prasad Singh, R/o-House No.- B, MahabirAsthana, SalimpurAhara,behindBasudev Singh Advocate, P.S.- Gandhi Maidan, P.O.- Kadamkuan, District-Patna,Bihar- 800003, do hereby declare vide Affidavit no. **15555**, Dt. 08.07.2025. That ANSH is my minor son.In ANSH Aadhar Card his name is written as ANSH SINGH. In school I.D. his name is written as ANSH. **ANSH SINGH** and ANSH both are same and one person.From now he will be known as **ANSH SINGH** for all purpose.

AJAY KUMAR SINGH.

No. 721--I, SHRAWAN MAHTO, Son of Siyaram Mahto, resident of Nasriganj chai Tola More, P.o.- Digha, P.s.- Danapur District-Patna (Bihar), do hereby solemnly affirm and as declare as per Affidavit No.15129, Dated 16.06.2025 that my Son's AMARJEET KUMAR 10th matriculation C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SHARWAN MAHTO But my name is mentioned in my Aadhar card and pan card Voter id card as SHRAWAN MAHTO Correct that the SHRAWAN MAHTO and SHARWAN MAHTO both names are same and one person that from now I will be know as SHRAWAN MAHTO for All future purpose.

SHRAWAN MAHTO.

No. 722--I, Maimun Nisha W/o Md. Azad, R/o Waliganj, Arrah, Bhojpur, Bihar-802301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2031 dt. 28.05.25 that my name is written in my son Md. Raja's 10th all educational documents as Maimun Nish, where as in Aadhar card my name is Maimun Nisha. Both names are same and one person. From now i will be known as Maimun Nisha for all purposes.

Maimun Nisha.

No. 732--I, Kalawati Devi, W/ Dilip Kumar, R/o Mohalla-Amrudi Gali, P.O.-Bankipur Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 394 dt. 03.07.25 that my name is written in my daughter Astha Vikram's 12th all educational documents as Kalawati. In Aadhar card written as Kalawati Devi. Both names are same and one person. From now I will be known as Kalawati Devi for all purposes.

Kalawati Devi.

सं० 733--मैं अर्चना पति शशिभूषण निवास राजमहल, खोजाझमली, फुलवारीशरीफ, पटना (बिहार) शपथ पत्र सं.-41 ता. 31. 01.25 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि अर्चना एवं अर्चना भूषण दोनों नाम मेरा ही है। अब मैं अर्चना के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

अर्चना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)—01-13/2024-2099
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

25 अप्रील 2025

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री लखन कुमार, तत्का0 प्रभारी जिला अवर निबंधक, गया सम्प्रति अवर निबंधक, महाराजगंज, सिवान के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत परिवादी श्री राहुल कुमार के आवेदन पर जॉचोपरांत जिला निबंधन कार्यालय, गया में निबंधित दस्तावेज सं0-23720 दिनांक-08.11.2022 के द्वारा "कैसर-ए- हिन्द" की भूमि रोक सूची में अंकित रहने एवं प्रश्नगत् भूमि से संबंधित स्वत्व वाद में माननीय न्यायालय द्वारा यथा स्थिति (Status Quo) लगाये जाने के बावजूद निबंधन किये जाने का प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार द्वारा विभागीय निदेशों/नियमों का पालन नहीं कर "कैसर-ए- हिन्द" की भूमि का निबंधन किया गया है। श्री कुमार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) के प्रावधान के प्रतिकूल है, जैसा कि आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री कुमार के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। संचालन पदाधिकारी के नियुक्ति के प्रस्ताव में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

3. श्री लखन कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)—01-48/2023-3689

4 जुलाई 2025

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सत्यनारायण चौधरी, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक के विरुद्ध दस्तावेज सं0-7047/2021 एवं दस्तावेज सं0-7097/2021 में व्यवसायिक एवं आवासीय संरचना छुपाने तथा व्यवसायिक सहायक सड़क श्रेणी के स्थान पर आवासीय परती भूमि के रूप में निबंधन करने के कारण दोनों दस्तावेजों में प्रति दस्तावेज रु0 4,36,100/- अर्थात कुल मो0

8,72,200/-रु० की राजस्व क्षति होना श्री चौधरी के आचरण निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार निबंधन नियमावली, 2008, बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन नि०), 1995, सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) के प्रावधानों के प्रतिकूल है जैसा कि संलग्न आरोप में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री सत्यनारायण चौधरी, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री जैनुद्दीन अंसारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-17/2025-3698

4 जुलाई 2025

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विजय शेखर दूबे, तत्का० अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली, सम्प्रति सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध वैशाली के पदस्थापन काल में पातेपुर थाना काण्ड सं०-346/22 दिनांक-26.12.2022 में जब्त कंटेनर निबंधन सं०- MH04JU0423 से संबंधित अधिहरण वाद सं०-4/2023 में वाहन की नीलामी के क्रम में निजी सर्वेयर के मूल्यांकन 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये के आधार पर वाहन की नीलामी की गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा नेशनल इश्योरेंस, हाजीपुर से उक्त वाहन का पूनर्मूल्यांकन कराये जाने पर वाहन का मूल्य लगभग 14,84,038/- रुपये आकलित किया गया। इस संबंध में श्री शरद नवनाथ गंगे द्वारा मा० उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-18561/23 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक-19.03.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1924 दिनांक-10.05.2025 द्वारा दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री दूबे द्वारा नियमानुसार निजी सर्वेयर का चयन, चयन का आधार, चयन की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने तथा निजी सर्वेयर के कार्यकलापों एवं वाहनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। श्री दूबे द्वारा नियमानुसार मूल्यवान वाहन के मामले में मोटरयान निरीक्षक से मूल्यांकन नहीं कराये जाने का भी आरोप प्रतिवेदित है। उनका आचरण सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाये जाने के कारण सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के उल्लंघन है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री दूबे के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्रीमती रेणू कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध, मुख्यालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। संचालन पदाधिकारी के नियुक्ति के प्रस्ताव में सचिव महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त।

3. श्री विजय शेखर दूबे से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

सं० 8/आ० (राज० नि०)—01-54/2024-3952

15 जुलाई 2025

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनीष कुमार, अवर निबंधक, चनपटिया, प० चम्पारण के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-677 दिनांक-23.12.2024 तथा 110 दिनांक-08.02.2025 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित 07 दस्तावेजों में से 06 दस्तावेजों (दस्तावेज सं०-10276/24, 11653/24, 12022/24, 12604/24, 6028/24 तथा 8377/24) में रू० 8,76,848/- (आठ लाख छिहत्तर हजार आठ सौ अड़तालीस रू० मात्र) तथा इसके अतिरिक्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक-208 दिनांक-19.03.2025 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में कुल 09 दस्तावेजों (दस्तावेज सं०-10509/2023, 9726/23, 9727/2023, 8481/23, 10421/23, 8906/23, 12623/24, 105/24 तथा 9303/24) में रू० 17,71,026/- (सतरह लाख एकहत्तर हजार छब्बीस रू० मात्र) अर्थात् कुल मो० 8,76,848+17,71,026=26,47,874/- (छब्बीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ चौहत्तर रू० मात्र) की सरकारी राजस्व क्षति प्रमाणित है। इतने बड़े पैमाने पर हुई सरकारी राजस्व की क्षति श्री कुमार का आचरण निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार निबंधन नियमावली, 2008, बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन नि०), 1995, सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) के प्रावधानों के प्रतिकूल है जैसा कि संलग्न आरोप में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनीष कुमार, अवर निबंधक, चनपटिया, प० चम्पारण के विरुद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए डॉ० संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री जितेन्द्र कुमार, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 20—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>